

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1503
28 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेद उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास

1503. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संपूर्ण देश में औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों और अन्य भारतीय औषधीय एवं आयुर्वेद उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या रूपरेखा तैयार की गयी/तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;
- (ख) महाराष्ट्र सहित पूरे देश में ऐसे उत्पादों की उच्च और निम्न उत्पादकता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयुष उपचार और दवाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है। किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) आयुष औषधियों की पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
- (ङ) क्या ऐसे निर्माताओं को कोई राजसहायता/प्रोत्साहन प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) वैश्विक समुदाय का विश्वास जीतने के लिए आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता और हानिरहितता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 में निर्धारित है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और औषध लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी उपबंधों का प्रवर्तन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषध नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों में निहित है। आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) कार्यान्वित की है, जिसे 16.03.2021 को स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना का पांच वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्नानुसार हैं-

- क. उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेशियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण और उन्नयन।
- ख. एएसयू एंड एच दवाओं की भेषजसतर्कता जिसमें भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी शामिल है।

- ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी, मानव संसाधन और क्षमता वर्धन कार्यक्रमों सहित केन्द्रीय और राज्य विनियामक ढांचे का सुदृढीकरण।
- घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य प्रासंगिक वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों के विकास और मान्यकरण/प्रमाणन के लिए सहायता।

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयुर्वेद उत्पादों की उत्पादकता का ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आयुष औषधियों सहित औषधों और औषधीय पदार्थों के बारे में दिखाई देने वाले भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों पर रोक लगाने के प्रावधान हैं और सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों को लागू करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता केन्द्रों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकरणों को रिपोर्ट करने का अधिदेश दिया गया है। एक त्रि-स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है जिसमें एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), मध्यस्थ भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) शामिल हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के राष्ट्रीय भेषजसतर्कता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) है। पीपीवीसी द्वारा नियमित अंतराल पर संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को आपत्तिजनक विज्ञापनों की सूचना दी जा रही है।

एओजीयूएसवाई योजना के "भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच दवाओं की भेषजसतर्कता" घटक के तहत, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के निम्नलिखित भ्रामक विज्ञापनों की सूचना राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को, चूककर्ताओं के विरुद्ध संभावित कार्रवाई करने के लिए दी गई है-

वर्ष	भ्रामक विज्ञापनों की संख्या
2020	5861
2021	8144
2022	7367

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयुष औषधियों के बारे में भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई **संलग्नक-II** में दी गई है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयुष औषधियों की पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या **संलग्नक-III** में दी गई है।

(ङ): जी हां। आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) योजना के घटक अर्थात् "उच्च मानक प्राप्त करने हेतु आयुष फार्मेशियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण और उन्नयन" के तहत, वर्ष 2022-23 में आयुष फार्मेशियों को जारी की गई अनुदान सहायता का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	फार्मेसी का नाम	जारी की गई धनराशि (रुपयों में)
1.	इंदुकेयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, पुणे	3,00,00,000 रुपए
2.	आयुर्केम प्रोडक्ट्स, महाराष्ट्र	2,69,00,000 रुपए
3.	फाइटोवेडिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र	2,14,61,000 रुपए
4.	विशेष आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड फार्मेसी, केरल	1,91,56,000 रुपए
5.	अमर फार्मास्युटिकल्स एंड लैब्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, यू.पी.	1,43,43,000 रुपए
6.	श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश	2,08,92,000 रुपए
7.	कोल्लम जिला आयुर्वेद औषधि निर्माण व्यवसाय सहकारी समिति, केरल	64,29,000 रुपए
	कुल	13,91,81,000 रुपए

(च): आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता और हानिरहितता सुनिश्चित करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:-

- i. जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 में निर्धारित है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और औषध लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों का प्रवर्तन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषध नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों में निहित है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-ख में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशा-निर्देश दिए गए हैं और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 85 (क से झ) में होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करें, जिनमें सुरक्षा और प्रभावशीलता का प्रमाण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-न और अनुसूची ड-1 के अनुसार उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) और संबंधित भेषजसंहिता में दी गई दवाओं के गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करना शामिल है।
- ii. आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) दवाओं के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है, जो इनमें शामिल एएसयू एंड एच दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और ताकत) का पता लगाने के लिए, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियम 1945 के अनुसार, आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में काम आते हैं। इन भेषजसंहिताओं के मोनोग्राफ में शामिल इन मानकों और गुणवत्ता मापदंडों की पहचान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या दुनिया भर में प्रचलित अन्य प्रमुख भेषजसंहिताओं की सिफारिशों के अनुसार की गई है। पीसीआईएम एंड एच ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयुर्वेद और अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में मानकों के सुदृढीकरण, संवर्धन एवं विकास करने और एएसयू एंड एच दवाओं की निर्यात क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिकन हर्बल फार्माकोपिया (एएचपी), यूएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- iii. आयुष उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, आयुष मंत्रालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयुष उत्पादों के निम्नलिखित प्रमाणन को प्रोत्साहित करता है-
 - हर्बल उत्पादों के लिए डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार फार्मास्युटिकल उत्पादों का प्रमाणन (सीओपीपी)।

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुसार, गुणवत्ता के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी उत्पादों को आयुष प्रीमियम मार्क प्रदान करने के लिए गुणवत्ता प्रमाणन योजना कार्यान्वित की गई है।
- iv. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 160-क से ज में आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और ताकत के ऐसे परीक्षण करने के लिए, जो आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंसधारक की ओर से इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित हों, औषध परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन हेतु विनियामक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आज की स्थिति के अनुसार, 27 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनकी अवसंरचनात्मक और कार्यात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों और कच्ची सामग्रियों की गुणवत्ता जांच के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत 95 प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया गया है अथवा लाइसेंस दिया गया है।
- v. आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषएक्सिल), एक नवगठित निर्यात संवर्धन परिषद (आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त) है, जिसका शुभारंभ 20 अप्रैल, 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, सोवारिग्पा और यूनानी पद्धतियों के उत्पादों के निर्यात पर निगरानी रखना और इन क्षेत्रों से संबंधित व्यापार मुद्दों को हल करना है। इसे निर्यात प्रक्रियाओं पर अपने सदस्यों के क्षमता वर्धन हेतु सहायता देने, आयुष उत्पादों के निर्यात पर बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकों, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, रोड शो, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करने और आयुष स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान की रक्षा करने का अधिदेश मिला है। आयुषएक्सिल ने 7 जुलाई, 2023 को जुनिपर हॉल, इंडियन हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में "विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए विभिन्न आयुष/पारंपरिक उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग" पर एक कार्यशाला आयोजित की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-ख, नियम 161-ख और नियम 169 के अनुसार सुरक्षा अध्ययन, प्रभावशीलता का प्रमाण और स्थिरता अध्ययन से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के पश्चात् पेटेंट और स्वामित्व वाली आयुष औषधियों के अनुमोदन के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की है।

आयुर्वेद उत्पादों की उत्पादकता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आयुर्वेद उत्पादों की उत्पादकता का विवरण								
1.	आंध्र प्रदेश	किसानों द्वारा कृषित और विकसित उच्च पैदावार देने वाले उत्पाद अश्वगंधा, गुडूची, पिप्पली, शंख पुस्पी, भूमलाकी, करंजा आदि हैं। स्थानीय जलवायु स्थिति के कारण कम पैदावार देने वाले उत्पाद केसर, चंदन हैं।								
2.	कर्नाटक	उच्च उत्पादकता - आसव और अरिस्तास कम उत्पादकता - कुपी पकवा रसायन और भस्म								
3.	ओडिशा	राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के लिए बोलांगीर, भुवनेश्वर और पुरी स्थित राज्य की सरकारी फार्मिसियों में आयुर्वेदिक दवाओं के विनिर्माण के लिए निधियों का प्रावधान किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है -								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>वित्तीय वर्ष</th> <th>दवा की इकाई में आवंटन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-22</td> <td>2,72,60,000 रुपए</td> </tr> <tr> <td>2022-23</td> <td>2,72,60,00 रुपए</td> </tr> <tr> <td>2023-24</td> <td>7,67,60,000 रुपए</td> </tr> </tbody> </table>	वित्तीय वर्ष	दवा की इकाई में आवंटन	2021-22	2,72,60,000 रुपए	2022-23	2,72,60,00 रुपए	2023-24	7,67,60,000 रुपए
वित्तीय वर्ष	दवा की इकाई में आवंटन									
2021-22	2,72,60,000 रुपए									
2022-23	2,72,60,00 रुपए									
2023-24	7,67,60,000 रुपए									
4.	उत्तराखंड	वर्ष 2022-23 में, लगभग 2700 आयुर्वेदिक पेटेंट उत्पादों को मंजूरी दी गई।								
5.	तमिलनाडु	विगत वर्षों में, प्रति वर्ष जारी किए जाने वाले नए लाइसेंसों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है अर्थात् वर्ष 2021 में 14 और वर्ष 2022 में 19.								

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयुष औषधियों के बारे में भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई –

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ की गई कार्रवाई								
1.	दिल्ली	पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 30 कारण बताओ नोटिस या ज्ञापन जारी किए गए हैं।								
2.	उत्तराखंड	वर्ष 2020-21 में 27 भ्रामक विज्ञापन, वर्ष 2021-22 में 17 भ्रामक विज्ञापन तथा वर्ष 2022-23 में 07 भ्रामक विज्ञापन प्राप्त हुए हैं तथा औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है।								
3.	मणिपुर	08 भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।								
4.	ओडिशा	आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापन का कोई मामला नहीं।								
5.	महाराष्ट्र	लगभग 101 भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।								
6.	तमिलनाडु	झूठे दावे के साथ अवैध विज्ञापन के लिए निम्नलिखित उत्पादों का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है – <ul style="list-style-type: none"> • आस्रा पाउडर टॉनिक कैप्सूल और क्रीम, • बोरक्सिन मलहम • सेग्रा प्लस कैप्सूल, मुस्ली सेगरा कैप्सूल और कामना कैप्सूल 								
7.	गुजरात	भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ की गई वर्षवार कार्रवाई इस प्रकार है – <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>09</td> <td>16</td> <td>06</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	30	09	16	06
2020	2021	2022	2023							
30	09	16	06							
8.	केरल	औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के मानदंडों का उल्लंघन करने के संबंध में 05 कोर्ट केस दर्ज किए गए।								
9.	मध्य प्रदेश	भ्रामक विज्ञापन रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।								

आयुष दवाओं की पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है -

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आयुष दवाओं की पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों की संख्या			
1.	आंध्र प्रदेश	285 आयुर्वेदिक विनिर्माण इकाइयां, 07 होम्योपैथिक दवा विनिर्माण इकाइयां और 05 होम्योपैथिक दवा विनिर्माण इकाइयां (कुल = 297)			
2.	छत्तीसगढ़	33 आयुर्वेद दवा विनिर्माण इकाइयां			
3.	दिल्ली	आयुर्वेद और यूनानी की 114 विनिर्माण इकाइयां			
4.	हिमाचल प्रदेश	वर्ष 2022-23 में 146 आयुर्वेदिक विनिर्माण और 08 होम्योपैथिक दवा विनिर्माण इकाइयां			
5.	हरियाणा	950 आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवा विनिर्माण इकाइयां			
6.	गोवा	2018	2019	2020	2021
		02	03	02	01
7.	गुजरात	2020-21	2021-22	2022-23	
		472	530	588	
8.	महाराष्ट्र	आयुर्वेद और यूनानी की 874 विनिर्माण इकाइयां और होम्योपैथी की 30 विनिर्माण इकाइयां			
9.	मध्य प्रदेश	825 विनिर्माण इकाइयां			
10.	कर्नाटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
		13	21	15	19
11.	केरल	709 विनिर्माण इकाइयां			
12.	पुडुचेरी	2014-15	01		
		2015-16	02		
		2016-17	10		
		2017-18	05		
		2018-19	03		
		2019-20	03		
		2020-21	05		
		2021-22	06		
		2022-23	06		

13.	तमिलनाडु	कुल 507 आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी विनिर्माण इकाइयाँ। वर्ष- वार प्रदान किए गए लाइसेंस निम्नानुसार हैं-	
		2014-15	12
		2015-16	11
		2016-17	19
		2017-18	41
		2018-19	31
		2019-20	22
		2020-21	36
		2021-22	42
		2022-23	50
14.	उत्तराखंड	आयुर्वेद और यूनानी दवाओं के विनिर्माण के लिए कुल 236 विनिर्माण इकाइयां पंजीकृत हैं।	
15.	ओडिशा	103 विनिर्माण इकाइयां	
16.	अरुणाचल प्रदेश	01 विनिर्माण इकाई	
17.	मणिपुर	शून्य	
18.	मिजोरम	शून्य	
19.	लद्दाख।	शून्य	
20.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	
21.	लक्षद्वीप	शून्य	
22.	चंडीगढ़	शून्य	